ग्रामीण कार्य विभाग

क्रम सं०	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ के तहत दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता हो	कार्यान्वयन करने वाले पदाधिकारी का नाम
01	(क)मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (MMGSY) (ख)प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना(PMGSY) (ग)ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना। (GTSNY)	(क)ग्रामीण क्षेत्रों के सभी जिलों की 250 एवं उससे अधिक की आबादी वाली बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। (ख)ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से सामान्य 27 जिलों में 500 तक एवं एकीकृत कार्य योजना वाले 11 जिलों में वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित चिन्हित 47 प्रखंड में की आबादी वाली अनजुड़े पात्र बसावटों को बारहमासी सड़कों के माध्यम से चरणबद्व रूप में एकल सम्पर्कता प्रदान करना है। (ग) इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के 100 से 249 तक की आबादी वाले अनजुड़े सर्वेक्षित उप टोलों को बारहमासी स़ड़कों के माध्यम से चरणबद्व रूप में एकल सम्पर्कता प्रदान करने का लक्ष्य है।	ग्रामीण क्षेत्रों के सभी आम जनता	बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (BRRDA) मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/ग्रामीण कार्य प्रमंडल (संबंधित जिला) मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/ग्रामीण कार्य प्रमंडल (संबंधित जिला)
02	(क)मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम । (ख)ग्रामीण सड़कों/पुलों के रख–रखाव एवं मरम्मति हेतु गैर योजना मद के अन्तर्गत कार्य ।	(क) राज्य सरकार द्वारा निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण के पश्चात पथों के अनिवार्य अनुरक्षण हेतु बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 लागु की गई है। जिसमें ग्रामीण पथों के निर्माण के उपरांत अनिवार्य पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि की समाप्ति के पश्चात निर्मित पथों के अनुरक्षण का प्रावधान है। (ख)इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों/पुलों का रख–रखाव एवं मरम्मति किया जाता हैं सड़कों/पुलों के निर्माण के बाद उनके उचित रख–रखाव एवं मरम्मति से ग्रामीण क्षेत्रों को लंबी अवधि के लिए सम्पर्कता प्रदान किया जा सकता है।	ग्रामीण क्षेत्रों के सभी आम जनता	मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/ग्रामीण कार्य प्रमंडल (संबंधित जिला)